# न्यायालय अपर जिला कलक्टर (जागीर), हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :-उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-03/2023

1-इन्द्राज पुत्र बुधराम (फौत)
1/1-रामकुमार पुत्र स्व० इन्द्राज
1/2-ओमप्रकाश पुत्र स्व० इन्द्राज (फौत)
1/2/1-कृष्णा पत्नी स्व० ओमप्रकाश
1/2/2-दुलीचन्द पुत्र स्व० ओमप्रकाश
1/2/3-सुखदेव पुत्र स्व० ओमप्रकाश
1/3-भगतसिंह पुत्र स्व० इन्द्राज
1/4-रतनलाल पुत्र स्व० इन्द्राज
1/5-उदयसिंह पुत्र स्व० इन्द्राज (फौत)
1/5/1-गीतादेवी पत्नी स्व० उदयसिंह
1/5/2-विनोद कुमार पुत्र स्व० उदयसिंह
1/5/3-कुलदीप पुत्र स्व० उदयसिंह
1/6-कुन्ता देवी पुत्री इन्द्राज पत्नी ओमप्रकाश
1/7-सुमित्रा देवी पुत्री इन्द्राज पत्नी भागीरथ
2-हीराराम पुत्र बुधराम (फौत)
2/1-सुगनीदेवी पत्नी स्व० हीराराम
2/2-विद्यादेवी पुत्री स्व० हीराराम
2/3-शीलादेवी पुत्री स्व० हीराराम
2/4-कृष्णकुमार पुत्र स्व० हीराराम
3-रामलाल पुत्र बुधराम (फौत)
3/1-हीरादेवी पत्नी स्व० रामलाल
3/2-गोपालराम पुत्र स्व० रामलाल
3/3-राजेन्द्र पुत्र स्व० रामलाल
3/4-सुरेन्द्र पुत्र स्व० रामलाल
3/5-दुर्गादेवी पुत्री स्व० रामलाल
3/6-धर्मदेवी पुत्री स्व० रामलाल
4-देवीलाल पुत्र बुधराम
5-हरि चंद पुत्र बुधराम (फौत)
5/1-शान्ति पत्नी स्व० हरि चंद
5/2-जसवन्त पुत्र स्व० हरि चंद
5/3-कमला पुत्री स्व० हरि चंद
5/4-रामप्यारी पुत्री स्व० हरि चंद
5/5-चिड़िया पुत्री स्व० हरि चंद
5/6-सोना पुत्री स्व० हरि चंद
5/7-सुभाष पुत्र स्व० हरि चंद समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम लूणावाली ढाणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।(राज0)

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)



अपर जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़

—: प्रार्थीगण

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, (टिब्बी) जिला हनुमानगढ़ (राज0)

—: अप्रार्थी

राज0 उपनिवेशन ( पैतालीसा क्षेत्र में गैरदाखिलकार काश्तकार को राजकीय भूमि आवंटन) शर्ते 1970 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र

उपस्थितः—

1 श्री विजय कुमार कौशिक अभिभाषक प्रार्थीयान।

2 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

—:निर्णयः—

दिनांकः— 29/04/2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं किप्रार्थीगण के पिता स्व० बुधराम वल्द छतु की खसरा संख्या—3 ग्राम डबलीखुर्द की 19—00 बीघा भूमि गैरदाखिलकारी दर्ज कागजात पटवारी थी । उपरोक्त खसरा संख्या—3 की भूमि उपनिवेशन विभाग द्वारा चक नं० 4 एस एसटी एसएम में निम्न प्रकार से प.नं. 192/341 किला नं० 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 15—00 बीघा नहरी, प—नं. 192/342 किला नं0 2 ता 5 कुल 4—00 बीघा नहरी इस प्रकार कुल 19 बीघा नहरी भूमि में पैमूद की गयी। उपरोक्त वर्णित भूमि सम्वत् 2010 से लेकर प्रार्थीगण के पिता श्री बुधराम के कब्जा में थी एवं वर्तमान में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में निरंतर चली आ रही है जबकि एकतरफा तौर पर उक्त भूमि में से 14—00 बीघा भूमि मिसल संख्या 900/29—12—70 आवंटन अधिकारी महोदय हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 4—9—71 व निर्णय दिनांक 24—1—73 अतिरिक्त उपायुक्त बीकानेर की पालना में चक नं० 4 एस एसटी एसएम प—नं 192/341 किला नं० 4 ता 7, 14 ता 17, 24—25 = 10—00 बीघा तथा पं.नं. —192/342 किला नं० 2 ता 5 =4—00 बीघा कुल 14—00 बीघा भूमि को रकबा राज घोषित किया गया है तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण के निरन्तर कब्जा काश्त में रही है प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91—भू राजस्व अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की गई है इस प्रकार उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता की सम्वत् 2012 से पूर्व की गैरदाखिलकारी भूमि होने तथा प्रार्थीगण के निरन्तर कब्जा काश्त में होने के कारण प्रार्थीगण उक्त भूमि को आवंटन करवाने के पात्र हैं। पैतालिसा आवंटन नियम 1970 के तहत ऐसे व्यक्तियों को भूमि आवंटन का प्रावधान है जो कि सम्वत् 2016 से पूर्व से किसी भूमि के कास्तकार है एवं गैरदाखिलकारी की श्रेणी में आते है प्रार्थीगण आवंटन नियमों की शर्तों की पालना पूर्ण करते है इसलिए इन नियमों के तहत पाने के पात्र अधिकारी है। प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी जरई चक नं० 4 एस एसटी एसएम पं—नं. 192/341 कि—नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24—25 प.नं. 192/342 किला नं० 2 ता 5 कुल 14—00 बीघा नहरी भूमि गैरदाखिलकारी व कब्जा काश्त में होने के कारण प्रार्थीगण के नाम से आवंटन किये जाने के आदेश बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2003 पेश किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.01.2006 को आवंटन प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज कर दिया गया जिसको प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के यहां चुनौती देने पर दिनांक 25.03.2006 को अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। रिमांड होने पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.07.2006



अपर जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़

से आंवटन प्रार्थना पत्र प्रार्थी पुन खारिज कर दिया जिससे विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ में पुनः अपील प्रस्तुत होने पर अपील निर्णय दिनांक 04.06.2008 को खारिज की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने माननीय राजस्व मंडल अजमेर के यहां निगरानी संख्या 6949 सन् 2022 पेश कि गई। माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 26.10.2023 द्वारा निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 4–6–2008 एवं इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13–7–2006 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि उपरोक्त विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के परिपेक्ष्य में पूर्ण परीक्षणोपरान्त प्रार्थीगण के आवंटन प्रार्थना पत्र का विधिवत निस्तारण करें।

प्रकरण रिमाण्ड होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थीगण जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थीयान ने लिखित बहस के कथनों को दोहराते हुए कथन किये की चक 4 एमएसटीएसएम तहसील उप नौरंगदेसर में प० नं0 192/341 में कुल 19 बीघा नहरी भूमि जमाबंदी सम्वत् 2010 से 2013 में व खसरा मिलान में भी 19 बीघा भूमि अंकित है जो उपनिवेशन विभाग के खत्तरा सम्वत 2015 में बुधराम पुत्र छतुराम के नाम अंकित है, जो भौतिक रूप से प्रार्थीगण के धारण में चली आ रही है। इस भूमि के संबंध में एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनाक 04.09.71 को आवंटन अधिकारी द्वारा एवं दिनाक 24.01.73 को अतिरिक्त उप० आयुक्त द्वारा उक्त भूमि को आराजी राज घोषित कर दिया गया। उसके पश्चात् उप० आयुक्त द्वारा दिनांक 30.11.81 को प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करने का आदेश दिया। कालान्तर में अतिरिक्त जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ ने दिनांक 28.01.2006 को आवंटन प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज कर दिया गया जिसको प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के यहां चुनौती देने पर दिनांक 25.03.2006 को अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया गया। रिमांड होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ ने अपने आदेश 13.07.2006 से आवंटन प्रार्थना पत्र प्रार्थी पुनः खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ में पुनः अपील प्रस्तुत होने पर अपील 04.06.2008 को खारिज होने पर प्रार्थीगण ने माननीय राजस्व मंडल अजमेर के यहां निगरानी संख्या 6949 सन् 2022 प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा दिनांक 26.10.2023 को निर्णय पारित किया जाकर यह मानते हुए कि जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण के पिता के समय से ही यह भूमि प्रार्थीगणके भौतिक धारण में चली आ रही है साथ ही संवत् 2015 में खसरा नं० 3 की 18 बीधा 12 बिस्वा भूमि पर काश्तकार बुधराम गैर दाखिलकार दर्ज है।सूची नं 4 के अनुसार खसरा नं० 3 की 18 बीधा 12 बिस्वा भूमि चक 4 एम एस टी एस एम में 19 बीघा पैमूद हुई। पर्चा खतौनी 4 एम एस टी एस एम में यह भूमि प्रार्थीगण के पिता बुधराम के नाम आराजी काश्त थी, जिसमें से 14 बीघा विवादित भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा खारिज की गई थी एवं रकबा राज दर्ज कर दी गई। इससे यह स्पष्ट है कि बिना किसी आधार के उक्त भूमि को रकबा राज किया गया था। जहां तक राज० उप० (गैर दाखिलकार कृषक को पैतालिसा क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन) शर्तें 1970 की शर्त सं० 2(m) में गैर दाखिलकार कृषक की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार गैर दाखिलकार अभिधारी से ऐसा अभिधारी अभिप्रेत है (भोगाधिकारी बिस्वेदार अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य अथवा मौरूसी या खातेदार अधिकारों का उपभोग करने वाले अभिधारी को छोड़कर) जो पैतालीसा क्षेत्र में बिस्वेदारी रियासतों के उन्मूलन की दिनांक को (अर्थात 15–11–1959) अथवा इससे पूर्व



अपर जिला कलक्टर (जागीर)
हनुमानगढ़

बिस्वेदारी भूमि पर कृषि करके निरंतर काबिज रहे हैं और जो मिसल बंदोबस्त या अन्य राजस्व अभिलेखों में इस रूप में अभिलिखित रहे है। उक्त शर्तों में शर्त सं० 2(0) में राजकीय भूमि को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार सरकारी भूमि से ऐसी भूमि को छोड़कर जिसमें बिस्वेदारी अधिनियम के उपबंधों के अधीन अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा खातेदारी अधिकार अर्जित कर लिए गए है अथवा उसे प्रदत्त कर दिए गए हैं बिस्वेदारी अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार की या इसमें संनिहित समस्त भूमियां अभिप्रेति है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह स्थिति बखूबी प्रमाणित है कि प्रार्थीगण के पूर्वज बुधराम मौजा डबली खुर्द तहसील टिब्बी के खसरा नं० 3 की 19 बीघा भूमि जो सूचि नं० 4 से प्रमाणित है कि यह भूमि वर्तमान चक 4 एमएसडीएसएम में पैमूद हो चुकी है के गैर दाखिलकार काश्तकार थे जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत् 2010 से 13 एवं खसरा गिरदावरी टिब्बी से होती है। इस भूमि में से 5 बीघा भूमि प्रार्थीगण को आवंटित की जा चुकी है तथा वर्तमान प्रकरण में शेष 14 बीघा भूमि आवंटन हेतु पत्रावली लंबित है। राज०उप० (पैतालिसा क्षेत्र में गैर दाखिलकार कृषक राजकीय भूमि का आवंटन) नियम 1970 की धारा 2(m) के तहत प्रार्थीगण के पूर्वज बुधराम विवादित भूमि के गैर दाखिलकार कृषक थे, जिन्होंने इस भूमि के आवंटन हेतु उपरोक्त नियम 1970 की धारा 7 के तहत आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। नियम 1970 की धारा 9 (1) (बी) के तहत बुधराम का कब्जा सन् 1928 से 1955 के बीच में होने से उक्त भूमि को आवंटन करवाने का हकदार उक्त नियमों के तहत बुधराम प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त नियम 1970 की धारा (9) (1) (सी) के तहत बुधराम विवादित आराजी का गैर दाखिलकार कृषक 1955 से 1959 के मध्य होने के कारण 25 बीघा भूमि तक आवंटन करवाने का हकदार है। शर्त संख्या 9 में तीन प्रावधान है यथा–प्रथम प्रावधान शर्त संख्या 9 (ए) के तहत यदि एक गैर दाखिलकार कृषक सम्वत् 1985 (सन् 1928) से पहले से भूमि पर निरंतर कब्जा रखता है उसे सीलिंग प्रावधानों के अधीन रहते हुए 50 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। द्वितीय प्रावधान शर्त संख्या 9 (बी) के तहत यदि गैरदाखिलकार कृषक के पास वर्ष 1928 से वर्ष 1955 के बीच किसी भी तारीख से लगातार कब्जे की भूमि है तो उसे सीलिंग प्रावधानों के अधीन रहते हुए 25 बीघा भूमि निःशुल्क एवं शेष 25 बीघा भूमि सशुल्क पर आवंटित की जाएगी। तृतीय प्रावधान शर्त संख्या 9 (सी) के तहत यदि गैरदाखिलकार के पास सन् 1955 से दिनांक 15.11.1959 तक किसी भी तारीख से 25 बीघा भूमि का निरंतर कब्जा है तो उसे यह भूमि सशुल्क आवंटित की जाएगी। इस संबंध में 1990 आरआरडी पेज 640 सुसंगत है।चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में सम्वत् 2015 की खसरा गिरदावरी से बुधराम का कब्जा एवं अन्य राजस्व अभिलेख सम्वत् 2010 से 2013 की जमाबंदी से गैरदाखिलकार कृषक होना बखूबी प्रमाणित है। इसलिए प्रार्थीगण चक 4 एमएसटीएसएम की कुल 14 बीघा भूमि आवंटन करवाने के हकदार है।जहां तक प्रश्नगत भूमि को आदेश दिनांक 04.09.71 व 24.01.73 से आराजीराज दर्ज करने का आदेश है। उसका कोई प्रभाव प्रश्नगत प्रकरण पर इसलिए नहीं है, क्योंकि राज० उप० (पैतालिसा क्षेत्र में गैरदाखिलकार कृषक राजकीय भूमि का आवंटन) नियम 1970 की धारा 4 के तहत पैतालिसा क्षेत्रमें गैरदाखिलकार भूमि सिवाय चक भूमि ही मानकर धारा 9 के तहत आवंटन होती है। प्रार्थीगण ने माननीय राजस्व मंडल के समक्ष रखे थे, जिस आधार पर माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष आवंटन प्रार्थना पत्र का विधिक रूप से निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए हैं। इसलिए विवादित भूमि को सरकारी दर्ज करने के आदेशों को न तो पृथक से चुनौती देने की आवश्यकता है एवं न ही उपरोक्त दोनों

अपर जिला कलक्टर (जागीर)
हनुमानगढ़

आदेशों का धारा 4 व धारा 9 के तहत कोई विधिक प्रभाव है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपील संख्या 28/2006 बउनवानी इंद्राज बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 25.03.2006 को किसी भी पक्ष द्वारा उच्चतर न्यायालय में चुनौती नहीं दिए जाने से यह निर्णय आज भी प्रवर्तन एवं प्रभाव में है इस निर्णय में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यह फाईण्डिंग दर्ज की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि डबली खुर्द की जमाबंदी सं0 2010 से 2013 में बुधराम पुत्र छतु कौम जाट के नाम बतौर गैर दाखिलकारी भूमि दर्ज है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी स० 2010 से 2013 में बुधराम पिता अपी० के नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है जाहिर किया है. जबकि जमाबंदी सं० 2010 से 2013 व 2015 एवं रिपोर्ट तहसील से बुधराम के नाम से बतौर गैर दाखिलकार भूमि दर्ज होना सिद्ध होती है। सूची न० 4 मी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है, जिससे भूमि वादग्रस्त चक 4 एम.एस. टी. एस.एम में 19 बीघा में परिवर्तित होना अधीनस्थ न्यायालय ने माना है तथा पर्चा खतौनी के अनुसार कब्जा काश्त भी बुधराम की मानी गई है पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अति० आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 24.01.73 की पालना में दिनांक 3.6.75 को रकबा राज दर्ज किए जाने के आदेश के विरूद्ध कोई अपीलीय निर्णय से इस आदेश को निरस्त ना होने के आधार पर ही आवंटन प्रार्थना पत्र अपीलाट खारिज किया है वह उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पर्चा खतौनी प्रस्तुत हुई है, उस पर यह नोट अंकित किया गया है श्रीमान् आयुक्त बीकानेर के आदेश दिनांक 24.10.81 के द्वारा व तहसीलदार आदेश 30.11.81 के द्वारा निर्णय नहीं होने तक बुधराम को बेदखल करने की कार्यवाही को स्थगित रखा जाए। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व मंडल की विद्वान एकलपीठ ने भी नजरसानी संख्या 5498/2022 में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2022 में जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 को प्रश्नगत प्रकरण में सुसंगत माना गया है तथा इस जमाबंदी में बुधराम गैरदाखिलकार दर्ज है तथा यह भूमि प्रार्थीगण के अतिरिक्त किसी को आवंटित नहीं हो सकती है। इसलिए प्रश्नगत चक 4 एम.एस.टी.एस.एम के पत्थर नंबर 192/341 के किला नंबरान क्रमशः संख्या 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 व पत्थर नंबर 192/342 के किला नंबर 2 ता 5 की कुल 14 बीघा भूमि राजस्थान उपनिवेशन (पैतालिसा क्षेत्र में गैरदाखिलकार कृषक राजकीय भूमि का आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों के तहत प्रार्थीगण को आवंटित करने के आदेश प्रदत्त फरमावे, चूंकि स्व० बुधराम के पांचों वारिसान इन्द्राज हीराराम, रामलाल, देवीलाल हरी चन्द ब०हि० बराबर आवंटन के अधिकारी हैं. परंतु स्व० बुधराम के उक्त वर्णित पांचों वारीसान में से इन्द्राज, हीराराम, रामलाल हरी चन्द फौत हो चुके हैं। स्व० इन्द्राज के वारिसान प्रार्थी सं० 1/2 से 1/7 ने प्रश्नगत भूमि स्व० इन्द्राज के एक पुत्र रामकुमार प्रार्थी सं० 1/1 को उनके हिस्से की अकेले को आवंटित किए जाने में अपनी सहमति दी हुई है। इसलिए उक्त 14 बीघा भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रार्थी स 0 1/2 व 1/5 के वारिसान व प्रार्थी सं० 1/1, 1/3 1/6 1/7 की सहमति अनुसार प्रार्थी सं० 1/1 रामकुमार को व 1/5 हिस्सा भूमि स्व० हीराराम के वारिसान प्रार्थीगण सं0 2/1 से 2/4 को ब०हि०ब० एवं स्व० रामलाल के 1/5 हिस्सा की भूमि उनके वारिसान प्रार्थीगण 3/1 से 3/6 को ब०हि०ब० एवं स्व० हरी चन्द के 1/5 हिस्सा की भूमि उसके वारिसान प्रार्थीगण प्रार्थी सं0 5/1 से 5/7 को ब०हि०व० एवं शेष 1/5 हिस्सा भूमि प्रार्थी सं० 4 देवीलाल पुत्र बुधराम के नाम से आवंटित किए जाने का आदेश फरमाये।

अपर जिला कलक्टर (जागीर)
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

अभिभाषक अप्रार्थी (राजकीय अभिभाषक) ने अपनी बहस में कथन किया की जमाबन्दी सं० 2010 से 13 व 2015 एवं रिपोर्ट तहसील से बुधराम के नाम के बतौर गैर दाखिलकारी भूमि दर्ज है। पर्चा खतौनी में यह भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम आरजी काश्त दर्ज थी जिसे सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 4–9–1971 तथा अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर द्वारा दिनांक 24–1–1973 को रकबाराज घोषित किया जा चुका है। प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी है। अतः प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अभिभाषक प्रार्थीयान ने बहस के समर्थन में RRD 1990 Page 640 न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

**बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण** राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 26.10.2023 **से रिमाण्डेड प्रकरण है जिसमें** विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के परिपेक्ष्य में पूर्ण परीक्षणोपरान्त प्रार्थीगण के आवंटन प्रार्थना पत्र का विधिवत निस्तारण **कर निर्णय पारित किये जाने के निर्देश है मेरे द्वारा निम्न बिन्दुओ पर विचार किया गया।**

1. न्यायालय डीसीसी (आर.सी.पी.) के प्रकरण संख्या 900/70 निर्णय दिनांक 04.09.1971 अनुसार गिरदावरी संवत 2011 ता 16 मौजा मसीतांवाली खसरा नं. 9 की 5 बीघा खसरा न 21 की 8 बीघा भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त दर्ज है। नवीनीकरण प्रार्थी के नाम से सम्वत 2012 से 18 बीघा भूमि का होता आ रहा है। इस भूमि के अलावा प्रार्थी के नाम 67 बीघा रकबा दाखिलकारी का है। हरियाणा में 15 एकड़ भूमि प्रार्थी के नाम तथा 11 एकड़ प्रार्थी के लडका के नाम से है। इस प्रकार प्रार्थी पैतालिसा देहात की भूमि आंवटन नियमो अनुसार 5 बीघा भूमि बिना कीमत पुखता आवंटित कराने का मुफ्त हक है। इसी आदेश से प्रार्थी के नाम मु.न. 192/342 किला नम्बर 3,8,13,18,23 कुल 5 बीघा भूमि आवंटित कि गई । प्रार्थी का शेष रकबा चक 4 एमएसटीएसएम मु.न. 192/341 किला नं. 4 ता 7 ,14 ता 17, 24, 25 10 बीघा तथा पत्थर नं. 192/342 किला नं. 2 ता 5 कुल 4 बीघा भूमि, इस प्रकार कुल 14 बीघा कमाण्ड भूमि 1955 से बाद की होने से रकबा राज घोषित इस कथन के साथ की गई की प्रार्थी के पास 70 बीघा रकबा खातेदारी और है अतः कमीपूर्ति में रकबा पाने का मुफ्त हक नही है। प्रार्थी के परिवार में 17 सदस्य है अतः रकबा सिलिंग लिमिंट से अधिक नही है।
2. प्रार्थी के वारिसों द्वारा इस न्यायालय में आवंटन आवेदन दिनांक 20.06.2003 प्रस्तुत करने पर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2006 से प्रार्थना पत्र उक्त तथ्यों पर खारिज किया गया की प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौजा डबली खुद की जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 में ख0नं03 में प्रार्थीगण के पिता नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है। सम्वत 2015 में खसरा नं. 3 की 18 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर काश्तकार बुधराम गैरदाखिलकार दर्ज है। सूचि नं. 04के अनुसार खसरा संख्या 3 की 18 बीघा 12 बिस्वा भूमि चक 4 एमएसटीएसएम में 19 बीघा पैमूद हुई। पर्चा खतौनी चक 4 एमएसटीएसएम में यह–भूमि प्रार्थीगण के पिता बुधराम के नाम आरजी काश्त दर्ज थी जिसमें से विवादित 14 बीघा भूमि आवंटन अधिकारी डीसीसी हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 04.09.1971 एवं अति. आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा अपील में पारित निर्णय दिनांक 24.01.1973 की पालना में दिनांक 03.06.1975 को रकबा राज दर्ज कर दिया गया। इन आदेशों को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त करने का कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है। राजकीय भूमि पर प्रार्थीगण बतौर अतिक्रमी काबिज है। विवादित 14 बीघा भूमि

अपर जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़



अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

प्रार्थीगण की गैर दाखिलकारी भूमि की हैसियत से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में होना साबित नहीं होता इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

3. इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.2006 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ में प्रार्थीगण द्वारा अपील 26/2006 प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 25.03.2006 द्वारा निम्न आधार पर रिमाण्ड की गई डबलीखुर्द की जमाबंदी सं. 2010 से 2013 में बुधराम पुत्र छतु कौम जाट के नाम बतौर गैरदाखिलकारी भूमि दर्ज है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी सं. 2010 से 13 में बुधराम पिता अपीलाण्ट के नाम कोई भूमि दर्ज नहीं होना जाहिर किया है, **जबकि जमाबन्दी सं० 2010 से 13 व 2015 एवं रिपोर्ट तहसील से बुधराम के नाम से बतौर गैर दाखिलकारी भूमि दर्ज होना सिद्ध होती है।** सूची नं. 04 जिसमें भूमि वादग्रस्त चक–4 एम. एस. टी. एस. एम. में 19 बीघा में परिवर्तित होना अधीनस्थ न्यायालय ने माना है तथा पर्चा खतौनी के अनुसार कब्जा काश्त भी बुधराम की मानी गई है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अति आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 24.1.73 को पालना में दिनांक 3.6.75 को रकबा राज दर्ज किये जाने के आदेश के विरुद्ध कोई अपीलीय निर्णय से इस आदेश को निरस्त ना होने के आधार पर ही आवंटन प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट खारिज किया है। वह उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पर्चा खतौनी प्रस्तुत हुई है। उस पर यह नोट अंकित किया गया है कि श्रीमान् आयुक्त बीकानेर के आदेश दि० 24.10.81 के द्वारा व तहसीलदार आदेश 30.11.81 के द्वारा निर्णय नहीं होने तक बुधराम को बेदखल करने को कार्यवाही को स्थगित रखा जावें। इस और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया एवं दि0 24.10.81 के प्रकरण में आगे क्या कार्यवाहीहुई अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2006 अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया की उक्त विवेचन एवं विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जावें एवं अपीलाण्ट को भूमि वादग्रस्त से बेदखल ना किया जावें।

4. राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय से पत्रावली रिमाण्ड होकर इस न्यायालय को पुनः प्राप्त होने पर प्रकरण संख्या 05/2006 पर दर्ज रजिस्टर हुई एवं निर्णय दिनांक 13.07.2006 द्वारा निम्न आधार पर खारीज की गई की प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने के पश्चात अपीलांट प्रार्थीगण ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। पत्रावली में पूर्व से उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार मौजा डबली खुद की जमाबंदी सम्बत 2010 से 2013 में ख0नं0 3 में प्रार्थीगण के पिता नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है। सम्बत 2015 में खसरा नं. 3 की 18 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर काश्तकार बुधराम गैर दाखिलकार दर्ज है। सूचि नं. 04के अनुसार खसरा संख्या 3 की 18 बीघा 12 बिस्वाभूमि चक 4 एमएसटीएसएम में 19 बीघा पैमूद हुई । पर्चा खतौनी चक 4 एमएसटीएसएम में यह भूमि प्रार्थीगण के पिता बुधराम के नाम आरजी काश्त दर्ज थी जिसमें से विवादित 14 बीघा भूमि आवंटन अधिकारी डीसीसी हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 04.09.1971 एवं अति. आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा अपील में पारित निर्णय दिनांक 24.01.1973 की पालना में दिनांक 03.06.1975 को रकबा राज दर्ज कर दिया गया।इन आदेशों को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त करने का कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है। पर्चा खतौनी में आयुक्त महोदय के हवाले से बेदखल नही करने के अंकित नोट से यह साबित नही

अपर जिला कलक्टर (जागीर)
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

होता कि उनके द्वारा जिसकी अपील या निगरानी में कोई अंतिम निर्णय पारित कर डीसीसी एवं अति. उपनिवेशन आयुक्त के प्रश्नगत भूमि को रकबा राज घोषित करने के आदेश को अपास्त कर दिया गया है तथा प्रार्थीगण की गैर दाखिलकारी बहाल कर दी गई हो। उक्त विवेचना अनुसार प्रश्नगत 14 बीघा भूमि प्रार्थीगण की गैर दाखिलकारी भूमि नही होकर राजकीय भूमि है। प्रार्थीगण राजकीय भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। गैरदाखिलकारी भूमि आंवटन नियमों के अन्तर्गत राजकीय भूमि आवंटन नही हो सकती एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया ।

5. इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.07.2006 के विरूध राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ में प्रार्थीगण द्वारा अपील 115/2006 प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 04.06.2008 द्वारा निम्न आधार पर खारिज की गई जमाबन्दी सं0 2010 से 2013 में अपीलान्ट का पिता बुधराम ख०न०–3 पर गैर दाखिलकार दर्ज नहीं है। सम्वत 2015 में बुधराम ख0न0–3 में 18 बीघा 12 बिस्वा पर गैर दाखिलकार दर्ज रिकार्ड है केवल खसरा नं0–2015 में प्रार्थी का पिता बुधराम गैर दाखिलकार दर्ज है इसकी पुष्टि अन्य किसी राजस्व रिकार्ड से नहीं होती। इसलिये केवल खसरा के आधार पर अपीलान्ट को गैर दाखिलकार नहीं मान सकते। अपीलान्ट ने अपने दावे के समर्थन में जो अन्य रिकार्ड पेश किया है उसमें पर्चा खतौनी है इसमें बुधराम कोआरजी काश्तकार दर्ज किया है। इसके अलावा आरजी काश्तकार की सूची पेश की है जो कि बुधराम के नाम से है। उक्त दोनों दस्तावेजों पर कोई सम्वत् दर्ज नहीं है, जो पर्चा खतौनी पेश की है उस पर पटवारी ने आवंटन अधिकारी डी.सी.सी हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 4.9.71 एवं अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त के आदेश दिनांक 24.1.73 की पालना में दिनांक 3.6.75 को कुल 14 बीघा रकबा राज दर्ज करने का अंकन किया है। इसी तरह आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 24.10.81 के हवाले से निर्णय होने तक प्रार्थी बुधराम को भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही को स्थगित रखे जाने का अंकन किया है।अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है कि आवंटन अधिकारी डी सी सी हनुमानगढ़ एवं अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त के उपरोक्त वर्णित आदेश जिनके आधार पर उक्त रकबा राज दर्ज हुआ के विरूद्ध अपीलान्ट ने क्या कार्यवाही की नहीं बताया और ऐसा साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि उपरोक्त आदेश निरस्त हो गये है। अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष सही है क्योंकि उक्त दोनों आदेश अपीलान्ट के विरूद्ध अन्तिम हो चुके है। अपीलान्ट / प्रार्थी यह बताने में असफल रहा है कि उपरोक्त दोनों आदेश अपील अथवा रिवीजन में निरस्त हो गये है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट निरस्त की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनाक 13.7.06 बहाल रखा गया है।

6. राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 6949/2022 पेश किया गया। जिसमें निर्णय दिनांक 26.10.2023 द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.07.2006 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 04.06.2008 निरस्त कर प्रकरण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया की उपरोक्त विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के परिपेक्ष्य में पूर्ण परीक्षणोपरान्त प्रार्थीगण के आवंटन प्रार्थना पत्र का विधिवत निस्तारण करें।

अपर जिला कलक्टर (जागीर)
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

7. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय में माना कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13–7–2006 द्वारा प्रार्थीगण के आवंटन प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज किया है कि प्रश्नगत 14–00 बीघा भूमि प्रार्थीगण की गैर–दाखिलकारी भूमि नहीं होकर राजकीय भूमि है। प्रार्थीगण इस राजकीय भूमि पर बतोर अतिक्रमी काबिज है। गैर–दाखिलकारी भूमि आवंटन नियमों के अन्तर्गत राजकीय भूमि आवंटन नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क हैं कि पर्चा खतौनी कोलोनाईजेशन विभाग के अनुसार प्रार्थी के पिता बुधराम के नाम चक 4 एम एस टी एस एन तहसील उपनिवेशन नौरंगदेसर में पत्थर नंबर 192/341 में कुल 19 बीघा नहरी भूमि दर्ज है। इससे पूर्व जमाबंदी संवत् 2010 से 2013 में क्रमशः 8 बीघा व 9 बीघा भूमि अंकित है तथा मिलान खसरा में भी 19 बीघा भूमि दर्शायी गई है एवं इसी प्रकार उपनिवेशन विभाग के खसरा संवत् 2015 में बुधराम पुत्र हजारी का नाम अंकित है एवं यह भूमि निरन्तर प्रार्थीगण के भौतिक धारण में चली आ रही है। उपरोक्त भूमि के सबंध में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 4–9–1971 को आवंटन अधिकारी द्वारा एवं दिनांक 24–1–1973 को अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त द्वारा भूमि को अराजीराज घोषित कर दिया गया। तदुपरान्त प्रार्थीगण द्वारा कार्यवाही करने पर दिनांक 30–11–1981 को उपनिवेशन आयुक्त द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करने का आदेश दिया गया एवं कालान्तर में अतिरिक्त जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ द्वारा दिनांक 28–1–2006 की प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 28–1–2006 के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 25–3–2006 को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आदेश के पश्चात पुन यह प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिस पर अपीलीय न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं करते हुए अपने आदेशदिनांक 13–7–2006 द्वारा प्रार्थीगण का आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण के पिता के समय से ही यह भूमि प्रार्थीगण के भौतिक धारण में चली आ रही है। साथ ही संवत् 2015 में खसरा नंबर 3 की 18 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर काश्तकार बुधराम गैर दाखिलकार दर्ज है। सूची नंबर 4 के अनुसार खसरा नंबर 3 की 18 बीघा 12 बिस्वा भूमि चक 4 एम एस टी एस एम में 19 बीघा पैमूद हुई। पर्चा खतौनी 4 एम एस टी एस एम में यह भूमि प्रार्थीगण के पिता बुधराम के नाम आरजी काश्त थी जिसमें से 14 बीघा विवादित भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा खारिज की गई थी एवं रकबा राज दर्ज कर दी गई। इससे यह स्पष्ट है कि बिना किसी आधार के उक्त भूमि को रकबा राज किया गया था।

8. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय एवं शर्ते 1970 की शर्त संख्या 2 (एम) में गैर दाखिलकार कृषक की निम्न परिभाषा दी गई है–

"(m) Ghair Daklikar Tenant- Means a tenant (other than a Biswedar or any member of his family of an सत्य प्रतिocupancy tenant or a tenant enjoining Mourusi or Khatedari rights) who has been in continuous possession of Biswedari land on or before the date of abolition of the Biswedari estates in the Paintalisa area (ie 15-11-1959) and who has been recorded as such in the 'Misal Bandobast' or other Revenue records, provided that such land has not

अपर जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़

**14 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 67 बीघा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है इसके अतिरिक्त खसरा नं. 9 रकबा 5 बीघा खसरा नं. 29 रकबा 8 बीघा कुल किता 02 रकबा 13 बीघा गैर दाखिलकार दर्ज है तथा इसके पश्चातवर्ती रिकॉर्ड भू–प्रबन्ध विभाग की खतौनी संवत 2015 में भी उक्त भूमि गैर दाखिलकार दर्ज है और खसरा गिरदावरी 2015 में भी गैर दाखिलकार दर्ज है। सूची संख्या 04 मौजा ग्राम डबलीखुर्द में भी खसरा नंबर 03 से नवीन चक पत्थर संख्या 192/341 किला नंबर 4, 7 एवं 8, 14 ता 18 एवं 22 ता 25 एवं पत्थर संख्या 192/342 रकबा 2 ता 5 एवं 7 व 8 किता 18 रकबा 18 बीघा का अंकन है। पत्रावली में उक्त सभी दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि संलग्न है। इससे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.10.2023 मे उल्लेखित कथन की पुष्टि होती है। प्रार्थीगण के पूर्वज बुधराम पुत्र छतुराम का दिनांक 15.11.1959 से पूर्व प्रश्नगत भूमि चक** 4 एमएसटीएसएम **पत्थर संख्या 192/341 किला नंबर 4 ता 7, 14 ता 17 एवं 24 ता 25 एवं पत्थर संख्या 192/342 रकबा 2 ता 5 किता 14 रकबा 14 बीघा** पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कब्जा काश्त साबित होता है। प्रार्थीगण के पिता गैर दाखिलकार की हैसियत से दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

2. प्रश्नगत भूमि **चक** 4 एमएसटीएसएम **खसरा संख्या 03** प.नं. 192/341 किला नं० 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 15–00 बीघा नहरी, प–नं. 192/342 किला नं0 2 ता 5 कुल 4–00 इस प्रकार कुल 18 बीघा 12 बिस्वा पर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 07.01.2006 एवं तहसीलदार (भू.अ.) टिब्बी की रिपोर्ट दिनांक 16.01.2006 अनुसार प्रार्थीगण मौके पर बदस्तुर काबिज काश्त है।
3. प्रार्थीगण राजकीय भूमि आवंटन राज.उप (पैंतालीसा क्षेत्र में गैर दाखिलकार अभिधारियों को सरकारी भूमि का आवंटन) शर्ते 1970 के बिन्दु संख्या 9(सी) के अनुसरण में सशुल्क 25 बीघा भूमि आंवटित करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण के पास सिलिंग सीमा से अधिक भूमि नही होना माननीय न्यायालय डीसीसी, हनुमानगढ़, राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ एवं राजस्व मंडल, अजमेर ने निर्णित पूर्व निर्णयों में वर्णित किया है एवं प्रार्थीगण के परिवार के सदस्यों की संख्या 17 मानी गई है।
4. प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है की प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थीगण का लगातार कब्जा काश्त है तथा राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमीदारी बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागु होने से पूर्व से हम इस भूमि पर काबिज काश्त है तथा शपथ पत्र में यह भी अंकित किया यह भूमि आवेदन के समय से वर्तमान तक हमारे सिलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं है एवं प्रार्थीगण द्वारा कोई तथ्य छिपाया नही गया है, भविष्य में उक्त भूमि से सम्बधित कोई उज्र पैदा होता है तो कानूनन प्रार्थीगण जिम्मेदार रहेगे।
5. पैंतालीसा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा कीमतन आवंटन के लिए अधिकतम दर 700/– रूपये प्रति बीघा एवं निम्नतम दर 350/– रूपये प्रति बीघा निर्धारित की गई हैं ।

**अतः उपरोक्त विवेचना व निष्कर्ष अनुसार** प्रार्थी को प्रश्नगत भूमि **चक** 4 एमएसटीएसएम **पत्थर संख्या 192/341 किला नंबर 4 ता 7, 14 ता 17 एवं 24 ता 25 एवं**

अपर जिला कलक्टर (जागीर)
हनुमानगढ़

been in possession of any other person during the period mentioned in Condition No.9"

9. शर्ते 1970 की शर्त 2 (ओ) में राजकीय भूमि को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है की–

"(o) Government land shall mean all lands belonging to or vesting in the State Government under the provisions of the Biswedari Act except those in which Khatedari rights have been acquired by or conferred upon any person under the provisions of Biswedari Act or underthe Rajasthan Tenancy Act, 1955."

10. माननीय न्यायालय में निम्न शर्तो एवं नियमों पर भी विचार किया गया है–शर्ते संख्या 3 (1) के अनुसार राजकीय भूमि का आवंटन पुख्ता आधार पर होगा जिसमें खातेदारी अधिकार दिये जायेंगे तथा शर्ते 1970 में किया गया आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य कॉलोनी) शर्त 1955 में विहित निबंधन एवं शर्तों के अधीन एवं शर्ते 1970 की शर्त संख्या 7 की अधीन होगा। शर्त संख्या 9 के अनुसार शर्त संख्या 4 के तहत फिर से शुरू की गई सरकारी भूमि गैर दाखिलकार कृषक को आवंटित की जायेगी। शर्त संख्या 9 (ए) के तहत यदि एक गैर दाखिलकार कृषक सवत् 1985 (1928) से पहले से भूमि पर निरन्तर कब्जा रखता है उसे सीलिंग प्रावधानों के अधीन रहते हुए 50 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित की जायेगी। शर्त संख्या 9 (बी) के तहत यदि गैर दाखिलकार कृषक के पास वर्ष 1928 से वर्ष 1955 के बीच किसी भी तारीख से लगातार कब्जे की भूमि है तो उसे सीलिंग प्रावधानों के अधीन रहते हुए 25 बीघा भूमि निःशुल्क एवं शेष 25 बीघा भूमि सशुल्क आवंटित की जायेगी। शर्त संख्या 9 (सी) के तहत यदि गैर दाखिलकार के पास सन् 1955 से दिनांक 15–11–1959 तक किसी भी तारीख से 25 बीघा भूमि का निरन्तर कब्जा है तो उसे यह भूमि सशुल्क आवंटित की जायेगी। साथ ही जिस प्रकार उपनिवेशन क्षेत्र में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 एक सामान्य अधिनियम बनने के उपरान्त विभिन्न नहरों के अनुरूप उपनिवेशन आवंटन नियम बने हैं उसी प्रकार उपनिवेशन क्षेत्र में राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य कॉलोनी) शर्ते 1955 एक सामान्य शर्ते बनने के उपरान्त विभिन्न उपनिवेशन क्षेत्रों के लिए विभिन्न शर्ते बनी है तथा सामान्य शर्ते उक्तविभिन्न शर्तों पर लागू होती है।

11. माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 26.10.2023 में राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ एवं इस न्यायालय के निर्णयों के सम्बध में उल्लेखित किया की दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उपरोक्त विधिक एव तथ्यात्मक स्थिति पर कोई गौर नहीं किया है तथा प्रकरण का विधिवत परीक्षण किये बिना प्रार्थीगण का आवंटन प्रार्थना पत्र एवं अपील खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है।

12. प्रश्नगत भूमि राज.उप(पैतालीसा क्षेत्र में गैर दाखिलकारों को भूमि आवण्टन) शर्ते, 1970 के परिशिष्ट–1 में पैतालीसा ग्रामों की सूची में क्रम संख्या 03 पर अंकित है।

**उपरोक्त विवेचना के अनुसार निष्कर्ष निम्नानुसार है:–**

**प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जो सलंग्न पत्रावली है जिनमें संलग्न निम्न–**

1. **जमाबंदी वर्ष 2010 व 2013 में बुधराम पुत्र छतु के नाम खुदकाश्त दाखिलदार खसरा नं. 28 मिन रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा खसरा नं. 4 मिन 14 बीघा खसरा नं. 06 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा खसरा नं. 07 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा खसरा नं 8 रकबा 3 बीघा खसरा नं. 27 रकबा 20 बीघा 1 बिस्वा खसरा 238 रकबा 20 बीघा**

**पत्थर संख्या 192/342 रकबा 2 ता 5 किता 14 रकबा 14 बीघा** कमाण्ड भूमि पर आवंटन का पात्र पाये जाने पर उक्त भूमि को राजस्थान उपनिवेशन (पैंतालीसा क्षेत्र में गैर दाखिलकार अभिधारियों को सरकारी भूमि का आवंटन) शर्ते 1970 की शर्त संख्या 9(ग) के तहत 700/– रूपये प्रतिबीघा की दर से कीमतन आवंटन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आवंटन आदेश पृथक से जारी हो। आवंटित भूमि की राशि एक माह में तहसीलदार टिब्बी में जमा करवायेंगे। पत्रावली विधि परीक्षण हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

**निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

29/4/26

**(उम्मीदीलाल मीना)**
**अपर जिला कलक्टर(जागीर)**
**हनुमानगढ**

अपर जिला कलक्टर (जागीर)
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर ★ हनुमानगढ़ (राज०) ★

# कार्यालय अपर जिला कलक्टर ( जागीर ) हनुमानगढ।

क्रमांक / गै0दा0 / 03 / 2023 / 374 दिनांकः– 29/04/2026

**–ःआवंटन आदेशः–**

चक 4 एमएसटीएसएम पत्थर संख्या 192 / 341 किला नंबर 4 ता 7, 14 ता 17 एवं 24 ता 25 एवं पत्थर संख्या 192 / 342 रकबा 2 ता 5 किता 14 रकबा 14 बीघा कमाण्ड भूमि, राजस्थान उपनिवेशन (पैंतालीसा क्षेत्र में गैर दाखिलकार अभिधारियों को सरकारी भूमि का आवंटन) शर्ते 1970 की शर्त सं. 9(ग) के तहत 700–/ रूपये ( सात सौ रूपये मात्र) प्रतिबीघा की दर से स्व. बुधराम पुत्र छतुराम के पांचों वारिसो को ब0हि0ब0 आवंटन की जाती है। आवंटित भूमि की कीमत नियमानुसार वसूल की जावेगी। आवंटित भूमि की राशि एक माह में तहसीलदार टिब्बी में जमा करवायेंगे।

अपर जिला कलक्टर ( जागीर )
हनुमानगढ
अपर जिला कलक्टर (जागीर)
हनुमानगढ़

क्रमांक –सम / 375-378 दिनांकः– 29/04/2026

प्रतिलिपि :–

1. प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी / उपतहसीलदार तलवाड़ा।
3. प्रार्थीयान ।

अपर जिला कलक्टर ( जागीर )
हनुमानगढ
अपर जिला कलक्टर (जागीर)
हनुमानगढ़